


28-8-23

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी का वाद
08R10 अनुसार स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से
टैकन करा सलगन पत्रावली किया गया। निर्णय सेरेडजलास (नुमा)
गया। प्रकरण फैसल शुक्राहोरा नम्बर से कम है।



प्रतिमा वर्मा

DAS

उपखण्ड अधिकारी

गिरवा, उदयपुर